फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान - कृष्णलाल बनाम पूर्णाराम व अन्य

किस्म मुकदमा :- 251 (क) रा.का.अ. प्रकरण सं. :- 27/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29/1/25	आज यह पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेशी पे ली गई। अप्रार्थी के सहमति का शपथ पत्र पेश किया, ग्राह्य है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। नंबर से कम हो आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	678 03.2.25 GCMS 2025/88

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.06 12:44:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 27/2025 GCMS:-2025/88 दायर दिनांकः– 29.01.2025

कृष्णलाल पुत्र श्री मनफुल जाति बवरी साकिन 4 एम एन डब्ल्यू एम तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
———प्रार्थी

बनाम

1– पूर्णराम पुत्र श्री रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन 5 एम एन डब्ल्यू एम तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।
———अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :–

1– श्री रामनारायण ज़ालप अभिभाषक प्रार्थी

2– पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ।

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 29.01.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी , अप्रार्थी न0 1 स्वय एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 6 एम डी एम बी पटवार हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 4/39 के प0न0 106/348 मु0न0 20 के किला न0 3–4–5–17 ता 25/3.036 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके चक 6 एफ डी एम बी पटवार हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 19/7 के प0न0 106/348 मु0न0 20 के किला न0 6–7–14–15–16/1.265 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी की भूमि के किला नं0 3 ता 5 में रास्ता लगता है लेकिन शेष भूमि किला नं0 17 ता 25/2.277 है0 अ0क0 में आने वाले का कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी न0 1 की भूमि चक 6 एफ डी एम बी के प0न0 106/348मु0न0 20 के किला न0 7 में 0.0130 है0, 14 में 0.0130 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण चालू रास्ता का उपयोग करता है। लेकिन वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है । इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 की भूमि चक 6 एफ डी एम बी के प0न0 106/348मु0न0 20 के किला न0 7 में 0.0130 है0, 14 में 0.0130 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण वर्तमान में चालू रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसमें अप्रार्थी न0 1 को कोई आपत्ति नही है। इसलिए प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन करता है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 स्वयं उपस्थित हुआ ।

अप्रार्थी सं0 1 स्वयं उपस्थित होकर अप्रार्थी न0 1 की खातेदारी भूमि वाके चक 6 एफ डी एम बी के प0न0 106/348मु0न0 20 के किला न0 7 में 0.0130 है0, 14 में 0.0130 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण वर्तमान में चालू रास्ता देने का सहमति–पत्र प्रस्तुत कर उक्त रास्ता स्वीकृत करने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई ।

अप्रार्थी न0 1 के सहमति–पत्र पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता से पठन व मनन किया गया । प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार कास्तकार है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई भी रास्ता नही है। जो अप्रार्थी न0 1 की खातेदारी भूमि चक 6 एफ डी एम बी के प0न0 106/348मु0न0 20 के किला न0 7 में 0.0130 है0, 14 में 0.0130 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण वर्तमान में चालू रास्ता देने की सहमति प्रकट की है । इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया [illegible] अप्रार्थी न0 1 के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 6 एफ डी एम बी के प0न0 106/348मु0[illegible]0 के किला न0 7 में 0.0130 है0, 14 में 0.0130 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.01.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.06 12:44:30 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

क्रमांक / राज(ब)/प्रा.प्र/27/2025/670 दिनांक :– 03.02.25

तहसीलदार राजस्व

सूरतगढ

विषय :– अनवान कृष्णलाल बनाम पूर्णराम वगैरा में जारी आदेश की पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान कृष्णलाल बनाम पूर्णराम वगैरा पत्रावली धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत में दिये गये आदेश दिनांक 29.01.2025 के मुताबिक चक 6 एफ डी एम बी के प0न0 106/348मु0न0 20 के किला न0 7 में 0.0130 है0, 14 में 0.0130 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण भूमि कमलजन किया जाकर गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है की पालना कर किसी समक्ष न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नही होने पर रिपोर्ट भिजवाई जावे ।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.06 12:44:30 IST
Reason: SelfAttested